GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate Elementary Education
मौलिक शिक्षा निदेशालय

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development

School Education, Haryana
विद्यालय शिक्षा, हरियाणा

तमसो मा ज्योतिर्गमय
Lead me from Darkness to Light

E-mail: eduprimaryhry@gmail.com - Site: www.harprathmik.gov.in

ई–मेल।
सेवा में,

राज्य के सभी,
जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी।

यादी कमांक– 8/28–2025 पी0एस0 (ई0–1)
दिनांक पंचकूला– 23.05.2025

विषयः– **शैक्षणिक वर्ष 2025–26 में मान्यता प्राप्त प्राईवेट विद्यालयों में निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के सैक्शन 12 (1) (C) के प्रावधान अनुसार कक्षा प्रथम या इससे पूर्व की कक्षाओं में दाखिले हेतु कुल सीटें घोषित करने बारे।**

उपरोक्त विषय पर निदेशालय के पत्र कमांक KW 16/2–2023 जी0एस0 (3) दिनांक 28.03.2025 एवं 8/28–2025 पी0एस0 (ई0–1) दिनांक 15.05.2025 की निरन्तरता में।

संदर्भित पत्र अनुसार निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के सैक्शन 12 (1) (C) के प्रावधान अनुसार कक्षा प्रथम या इससे पूर्व की कक्षाओं में दाखिले हेतु कुल सीटें घोषित करने बारे राज्य के सभी मान्यता प्राप्त प्राईवेट विद्यालयों को Seat Declaration पोर्टल पर दिनांक 23.05.2025 तक सीटें घोषित करने के निर्देश दिये गए थे। उक्त तिथि तक 10744 प्राईवेट विद्यालयों में से 8677 विद्यालयों द्वारा पोर्टल पर सीटें दर्ज की गई हैं, परन्तु 2067 विद्यालयों द्वारा अभी तक पोर्टल पर सीटें घोषित नहीं की गई हैं, इसलिए 2067 विद्यालयों को एक अंतिम अवसर प्रदान करते हुए सीटें डिक्लेयर करने हेतु **उक्त तिथि दिनांक 26.05.2025 तक बढ़ाई जाती है।** इसके पश्चात् इन विद्यालयों को सीटें डिक्लेयर करने के लिए कोई अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा तथा इन विद्यालयों को अमान्यता प्राप्त श्रेणी में डालते हुए इनका MIS/UDISE Code ब्लॉक कर दिया जाएगा।

अतः अपने–2 जिले के प्राईवेट विद्यालयों (सूची संलग्न) को निर्देश दें कि विभागीय वैबसाईट https://harprathmik.gov.in पर दिये गए लिंक http://117.239.183.208/RTE2009_seatdeclaration_may2025/ – Regarding declaration of total seats for admission in recognized private schools in the academic year 2025-26 पर कक्षा प्रथम या पूर्व की कक्षाओं में (प्रवेश स्तर) कुल सीटों का ब्यौरा दें तथा इसकी सूचना अपने–अपने जिले के मुख्य समाचार पत्रों में भी प्रकाशित करवाना सुनिश्चित करें। (संलग्न–प्रैस विज्ञप्ति)

नोटः– **पोर्टल पर किसी प्रकार की तकनीकी समस्या के लिए हैल्प लाईन नं0 0172–5049801 पर तथा समस्या के समाधान के लिए ई–मेल rte.admission.hryedu@gmail.com पर भी संपर्क किया जा सकता है।**

सहायक निदेशक, पी0एस0(ई0),
कृतेः महानिदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा,
पंचकूला।

प्रतिः– संयुक्त निदेशक, आई.टी.सैल।

प्रेस–विज्ञप्ति

राज्य में निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के तहत प्रथम या इससे पूर्व की कक्षा में मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में 25% सीटों पर अलाभप्रद व आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग के बच्चों को दाखिला देने के लिए मान्यता प्राप्त विद्यालयों को सीट डिक्लेरेशन पोर्टल पर कक्षा प्रथम या इससे पूर्व की कक्षाओं (प्रवेश स्तर) में कुल सीटें पुनः दर्शाने हेतु दिनांक 16.05.2025 से 23.05.2025 तक खोला गया था। उक्त तिथि तक 10744 प्राईवेट विद्यालयों में से 8677 विद्यालयों द्वारा पोर्टल पर सीटें दर्ज की गई हैं, परन्तु 2067 विद्यालयों द्वारा अभी तक पोर्टल पर सीटें नहीं दर्शायी गई हैं, इसलिए 2067 विद्यालयों को एक अंतिम अवसर प्रदान करते हुए सीटें डिक्लेयर करने हेतु उक्त तिथि को दिनांक 26.05.2025 तक बढ़ाया जाता है। इसके पश्चात् सीटें डिक्लेयर करने के लिए अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा तथा इन विद्यालयों को अमान्यता प्राप्त श्रेणी में डालते हुए इन विद्यालयों का MIS/UDISE Code ब्लॉक कर दिया जाएगा।